

जिला पंचायत, सम्भल।


पत्रांक 325 / जि0पं0 / ला0अनु0 / 2020-21

दिनांक 2 / 10 / 2020

आवश्यक ठेकेदारी पंजीकरण सूचना

जिला पंचायत, सम्भल के समस्त पंजीकृत ठेकेदारों को सूचित किया जाता है कि शासनादेश संख्या 05/2019/2902/33-2-2019-198जी/2018 दिनांक 16.08.2019 के क्रम में किया गया श्रेणीवार ठेकेदारी पंजीकरण को शासकीय गजट संख्या 1425/33-2-2020/80जी-2000 दिनांक 14.07.2020 के द्वारा समाप्त किया जाता है एवं समस्त ठेकेदारों को एक समान श्रेणी में पंजीकृत किया जाता है एवं जिन ठेकेदारों की पंजीकरण जमानत राशि अंकन रू0 50,000/- से कम जमा है वह अवशेष जमानत राशि पाँच दिवस के भीतर नकद/ई-बेकिंग के माध्यम से जमा करना सुनिश्चित करें, जिससे उन्हें नवीन ठेकेदारी पंजीकरण प्रमाण पत्र निर्गत किया जा सके।


उक्त विज्ञप्ति की सूचना <http://sambhal.nic.in> पर देखी जा सकती है।

  
अपर मुख्य अधिकारी  
जिला पंचायत, सम्भल।

पत्रांक व दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- विज्ञापन व्यवस्थापक, दैनिक समाचार पत्र "दैनिक जागरण/हिन्दुस्तान" बहजोई को इस आशय से कि उक्त विज्ञप्ति का प्रकाशन अपने समाचार-पत्र में एक बार न्यूनतम स्थान एवं बारीक (06 फांट में) अक्षरों में प्रकाशित कराकर बिल दो प्रतियों में इस कार्यालय में उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
- 2- जिला सूचना विज्ञान अधिकारी, सम्भल उक्त विज्ञप्ति जनपद की वेबसाइट पर अपलोड कराने का कष्ट करें।
- 3- नाजिर, जिला पंचायत, सम्भल को नोटिस बोर्ड पर चस्पा कराने हेतु।
- 4- जिलाधिकारी महोदय, सम्भल की सेवा में सादर अवलोकनार्थ प्रेषित।
- 5- मुख्य विकास अधिकारी/मुख्य अधिकारी, जिला पंचायत, सम्भल की सेवा में सूचनार्थ।

  
अपर मुख्य अधिकारी  
जिला पंचायत, सम्भल